भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5030

01.04.2025 को उत्तर के लिए नियत

ईवी चार्जिंग अवसंरचना में निवेश की सीमा

5030. डॉ. अमर सिंह:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ईवी चार्जिंग अवसंरचना में निवेश की सीमा तय करने के लिए नई ईवी प्रोत्साहन नीति शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है और ऐसे निवेशों पर सीमा तय करने के पीछे क्या तर्क है;

(ग) वर्ष 2020 से देश में स्थापित सार्वजनिक और निजी ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के बारे में वर्षवार आंकड़े क्या हैं और नई नीति के तहत अनुमानित अवसंरचना के विस्तार के लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क से कितना राजस्व एकत्र किया गया है और कम किए गए नए टैरिफ ढांचे के कारण पूर्व निश्चित राजस्व में कितनी कमी का अनुमान है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख) : ऐसी कोई नीति विचाराधीन नहीं है।

(ग) : वित्त वर्ष 2020 से देश में तैनात ईवी चार्जिंग स्टेशन के संबंध में विद्युत मंत्रालय से प्राप्त वर्ष-वार ब्योरा नीचे तालिकानुसार हैः-

क्र.सं.	कैलेंडर वर्ष	पीसीएस की संख्या
1.	दिसंबर, 2022 तक	5,151
2.	2023	6752
3.	2024	13299
4.	मार्च, 2025 तक	1165

(घ) : राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, पिछले पांच वर्ष के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों शुल्क (ड्यूटी) से प्राप्त राशि को नीचे तालिका में दर्शाया गया है-

वर्ष	मूलभूत सीमा-शुल्क करोड़ रुपए में)	आईजीएसटी (करोड़ रुपए में)
2019-20	6	2
2020-21	18	3
2021-22	114	18
2022-23	482	166
2023-24	970	228
2024-25 फरवरी तक	874	205

राजस्व विभाग ने यह भी सूचित किया है कि वस्तु विशेष के स्तर पर छोड़े गए राजस्व की गणना का कार्य नहीं किया गया है और इसलिए यह डेटा राजस्व विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

*****